IN-SPACE EXTENDS DEADLINE FOR FOREIGN SATELLITES TO OPERATE IN INDIA

The Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) has granted a six-month extension to foreign satellites, allowing them to continue providing communication and broadcasting services in India without prior authorisation from the space regulator until September 30, 2025.

Previously, all such foreign satellites were mandated to obtain authorisation from IN-SPACe by March 31 to continue operations in the country. The regulator has now clarified that existing lease agreements set to expire during this extension period can be renewed until September 30, if necessary, under the existing framework. However, any new non-Indian satellite or additional capacity from existing satellites in any frequency band will require IN-SPACe's approval moving forward.

"With effect from October 1, 2025, only IN-SPACe-authorised non-Indian satellites and constellations in any frequency band shall be permitted to provide capacity in India," the regulator stated.

According to officials, multiple foreign satellite operators have recently applied for approvals, a process that typically takes about 120 days after the submission of complete details. However, many applications have remained pending since September last year.

"Sometimes, applications are incomplete, and additional details are required, which leads to delays. Only when an application is fully complete does the standing committee review it," an official explained.

A second official highlighted that the committee evaluates several parameters, including the shareholding structure of satellite operators, before granting authorisation. "Security remains the topmost priority when approving foreign satellites," the official added.■

इन–स्पेस ने भारत में विदेशी सैटेलाइटों के संचालन की समयसीमा बढ़ायी

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने विदेशी सैटेलाइटों को छह महीने का विस्तार दिया है, जिससे उन्हें **30** सितंबर **2025** तक अंतरिक्ष नियामक से पूर्व अनुमति के बिना भारत में संचार और प्रसारण सेवायें प्रदान करना जारी रखने की अनुमति मिल गयी है।

इससे पहले, ऐसे सभी विदेशी सैटेलाइटों को देश में परिचालन जारी रखने के लिए **31** मार्च तक इन–स्पेस से प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य था। नियामक ने अब स्पष्ट किया है कि इस विस्तार अवधि के दौरान समाप्त होने वाले मौजूदा लीज समझौतों को मौजूदा ढ़ांचे के तहत, यदि आवश्यक हो तो **30** सितंबर तक नवीनीकृत किया जा सकता है। हालांकि, किसी भी नये गैर भारतीय सैटेलाइट या किसी भी फ्रीक्वेंसी बैंड में मौजूदा सैटेलाइटों से अतिरिक्त क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए इन–स्पेस की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

नियामक ने कहा, '**1** अक्टूबर **2025** से किसी भी फ्रीक्वेंसी बैंड में केवल इन–स्पेस अधिकृत गैर–भारतीय सैटेलाइटों और नक्षत्रों को भारत में क्षमता प्रदान करने की अनुमति दी जायेगी।'

अधिकारियों के अनुसार, कई विदेशी सैटेलाइट ऑपरेटरों ने हाल ही में अनुमोदन के लिए आवेदन किया है, एक प्रक्रिया जिसमें आमतौर पर पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के बाद लगभग **120** दिन लगते हैं। हालांकि, पिछले साल सितंबर से कई आवेदन लंबित हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि 'कभी–कभी आवेदन अधूरे होते हैं और अतिरिक्त विवरण की आवश्यकता होती है, जिससे देरी होती है। जब आवेदन पूरी तरह से भरा होता है, ताभी स्थायी समिति इसकी समीक्षा करती है।

दूसरे अधिकारी ने बताया कि समिति किसी तरह का प्राधिकरण प्रदान करने से पहले सैटेलाइट ऑपरेटरों की शेयरधारिता संरचना सहित कई मापदंडों का मूल्यांकन करती है। अधिकारी ने कहा 'विदेशी सैटेलाइटों को मंजूरी देते समय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।' ■